भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./आई.पी./65/2024 **1 फरवरी, 2024**

सेवा में,
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा)

महोदय/महोदया

विषयः दिवाला व्यावसायिकों द्वारा प्रक्रियाओं का दक्ष संचालन सुकर बनाने के लिए अध्युपाय

दिवाला व्यावसायिक(आई.पी.), दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016(संहिता) के अधीन भिन्न-भिन्न भूमिकाएं धारण करता है और विभिन्न कृत्यों का निर्वहन करता है । संहिता में किसी आई.पी. को अपने कृत्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए लेखाकार, विधिक या अन्य व्यावसायिक नियुक्त करने के लिए सशक्त किया गया है आई.पी. किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था(आई.पी.ई.) से सहायक सेवाएं भी ले सकता है । ऐसे व्यावसायिकों को फीस, आई.पी.ई. की फीस और उपगत अन्य व्यय संबंधित प्रक्रिया लागत का भाग गठित करते हैं ।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016(आई.पी. विनियम) के साथ पठित संहिता की धारा 208 किसी आई.पी. को आचार संहिता का पालन करने के लिए आदिष्ट करती है । विस्तृत आचार संहिता, आई.पी. विनियमों की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं । आचार संहिता, दिवाला व्यवसाय में हितधारकों का विश्वास पैदा करने और उसका विकास सुनिश्चित करने के लिए, सत्यनिष्ठा, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, पारिश्रमिक और लागत आदि जैसे सिद्धांतों को शासित करती है ।

3. हितधारकों से प्राप्त प्रतिपुष्टि(फीडबैक) और कार्यान्वयन के दौरान हुए अनुभवों के आधार पर, कुछ क्षेत्रों में स्पष्टता प्रदान करना अनिवार्य समझा गया है जिससे कि प्रक्रियाओं का निर्बाध और दक्ष संचालन सुकर बनाया जा सके । इन मुद्दों और इनके संबंध में स्पष्टीकरणों को आगामी पैराग्राफों में विस्तृत रूप से बताया गया हैः

3.1 न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन में किसी आई. पी. द्वारा व्यावसायिक सेवा प्रदान करने के संबंध में स्पष्टीकरण

3.1.1. आई.पी. विनियमों के विनियम 2(1)(क) में 'असाइनमेंट' की परिभाषा किसी आई.पी. द्वारा अंतरिम समाधान व्यावसायिक, समाधान व्यावसायिक, समापक, शोधन अक्षमता न्यासी, प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में किसी असाइनमेंट या संहिता के अधीन किसी अन्य भूमिका के रूप में की गई है ।

3.1.2. आई. पी. विनियमों की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के खंड 23क में आई.पी. के लिए नियोजन की ईप्सा करने या संबंधित हितधारकों जैसे कारपोरेट ऋणी(सी.डी.), कतिपय लेनदारों, सफल समाधान आवेदक और उनके नातेदारों को व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए असाइनमेंट के बन्द होने के पश्चात् एक वर्ष की कूलिंग अवधि का उपबंध किया गया है ।

3.1.3. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 (सी.आई.आर.पी. विनियम) के विनियम 38 में, समाधान योजना की आज्ञापक अंतर्वस्तुओं के लिए उपबंध किया गया है, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ उसकी कार्यान्वयन समय–सारणी, उसकी कार्यावधि के दौरान सी.डी. के कारबार के प्रबंधन और नियंत्रण और उसके कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए पर्याप्त साधन भी हैं ।

3.1.4. अनेक मामलों में, यह पाया गया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी(ए.ए.) अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के अधीन रहते हुए, कार्यान्वयन या मानिटरिंग समितियों का गठन करने के उपबंधों सहित समाधान योजना का अनुमोदन करता है । ऐसा कार्यान्वयन तंत्र अनुमोदित समाधान योजना का प्रभावी कार्यान्वयन और संक्रमणकालीन चरण के दौरान सी.डी. का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित है । चूंकि आई.पी. पहले से सी.डी. के कारबार की बारीकियों से परिचित होता है इसलिए आई.पी. को सामान्यतया कार्यान्वयन या मानिटरिंग समिति में एक भूमिका दी जाती है ।

3.1.5. **स्पष्टीकरणः** *समाधान योजना के निर्बाध कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई आई.पी., ए.ए. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन के संबंध में व्यावसायिक सेवा प्रदान कर सकेगा बशर्ते ऐसी सेवा का उल्लेख, ए.ए. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना में किया गया हो ।*

3.2. आई. पी. द्वारा व्यावसायिकों से ली गई सेवाओं के लिए बिल/बीजक तैयार करने से संबंधित अनुपालन के संबंध में स्पष्टीकरण

3.2.1. आई.पी. नियमों की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट आचार संहिता का खंड 25ग यह अनुबंधित करता है कि आई.पी. यह सुनिश्चित करेगा कि आई.पी.ई. या उसके द्वारा नियुक्त व्यावसायिक अपनी फीस मद्धे अपने नाम से बिल या बीजक तैयार करते हैं और उन्हें ऐसी फीसों का संदाय बैंकिंग चैनल द्वारा किया जाएगा ।

3.2.2. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि नियोजन के निबंधनों या बाजार पद्धति के अनुसार, बिल या बीजक उस फर्म के नाम से भी तैयार किए जा सकेंगे जिसमें आई.पी. द्वारा नियुक्त व्यष्टिक व्यवसायिक एक भागीदार है । अतः यह स्पष्ट करना विवेकपूर्ण समझा जाता है कि फर्म के नाम में तैयार किया गया बिल या बीजक, आई.पी. द्वारा विनियम का पर्याप्त अनुपालन होगा ।

3.2.3. **स्पष्टीकरणः** *यह स्पष्ट किया जाता है कि आई.पी. विनियमों की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के खंड 25ग के प्रयोजनों के लिए, बिल या बीजक, आई.पी.ई. या व्यावसायिक या उस फर्म के नाम में तैयार किए जा सकेंगे, जिसमें ऐसा व्यावसायिक एक भागीदार है ।*

4. यह परिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है ।

भवदीय

हस्ता.

(बी. शंकरनारायणन्)

महाप्रबंधक

ईमेलः b.sankar@ibbi.gov.in